न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 69/2022 (RCMS : 2022/103)

नेक मोहम्मद पुत्र फकरा जाति मुसलमान निवासी भाटीवाला तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयगर, जिला श्रीगंगानगर

16.01.2023

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मोहन लाल माहर उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी ने एक विशेष भूमि आवंटन का प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के समक्ष इस आशय का प्रेषित किया की प्रार्थी के पास वाके चक 1 सीडीएम (बी) के पत्थर नम्बर 237/409, चक 1 सीडीएम(ए) के पत्थर नम्बर 237/402 की कुल 25.00 बीघा नहरी/बारानी कृषि भूमि में 1/7 हिस्सा बनता है। प्रार्थी एक खेतीहर भूमिहीन, पेशा काश्तकारी व्यक्ति है जिसे वाके चक 3 एलजीएम के पत्थर नम्बर 236/410 की कृषि भूमि आवंटित की जाने की प्रार्थना की थी।

प्रार्थी के अधिवक्ता का आगे कथन है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार आवंटन के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण आवंटन पत्रावली को आवंटन अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर को मुन्तकिल की गई थी, जो अभी भी बिना किसी अग्रिम कार्यवाही के विचाराधीन चली आ रही है।

प्रार्थी के अधिवक्ता का आगे कथन है कि प्रस्तावित भूमि कृषि योग्य नहीं है। प्रार्थी का मुख्य पेशा कृषि है और कृषि पर आधारित होने से अपना व अपने परिवार की परवरिश करता है। प्रस्तावित भूमि उपजाऊ नहीं होने तथा कृषि के अनुपयुक्त होने से कृषि सम्भव नहीं है, प्रार्थी को उपखण्ड क्षेत्र श्रीविजयनगर से सामान स्तर की सामान कृषि भूमि के आवंटन हेतु उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को मुन्तकिल किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.14 15:13:45 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी के अधिवक्ता का आगे कथन है कि उपखण्ड क्षेत्र घड़साना में शुद्ध रकबा राज कृषि भूमि अविवादित है, जिसे प्रार्थी को आवंटन किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 01 पर किसी प्रकार का कोई आरोप नही है। प्राथी की आवश्यकता के मध्यनज़र आवंटन पत्रावली संख्या 980/97 को न्याहित में आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी घड़साना को आवंटन हेतु मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है।

मैंने, अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त टिप्पणी दिनांक 09.06.2022 एवं पत्रावली का अवलोकन किया और प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी नेह मोहम्मद ने अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन आवंटन प्रकरण 980/97 को अन्यत्र मुंतकिल के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी में द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को प्रार्थी की विशेष आवंटन श्रेणी में भूमि आवंटन संबंधी पत्रावली क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने पर उनके कार्यालय को प्राप्त हुई है, जो विचाराधीन होना बताया है। इस न्यायालय को उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के गुण दोष पर विचार नहीं करना है, अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नही,?

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.14 15:13:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी नेक मोहम्मद द्वारा यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश किया गया है कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर [illegible] भूमि कृषि योग्य नही है और दूसरा प्रार्थी की आवश्यकता के मध्यनज़र आवंटन पत्रावली को उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को आवंटन हेतु मुंतकिल किये जाने की प्रार्थना की है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में पीठासीन अधिकारी पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया है। राज्य सरकार के आदेशानुसार आवंटन के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण आवंटन पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर को मुंतकिल की गई थी, इसलिए क्षेत्राधिकार के कारण उनके द्वारा ही नियमानुसार भूमि के आवंटन पर विचार करना है। चूंकि राज्य सरकार के द्वारा उक्त प्रकरण में कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर को दिया गया है। जिसमें अद्योहस्तारकर्त्ता को किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि **पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते** हुए विचाराधीन प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर को पालनार्थ भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.14 15:13:45 IST
Reason: SelfAttested